

23.10.21

पकील लागल उपाधिकारी कोषल द्वारा  
आपना मूलवाद विज्ञापित किया जे मुकदमे  
मूलवाद के करी प्रार्थना पत्र कोषली  
नहीं है अतः मूलवाद की शेषना  
के प्रार्थना पत्र खारिज किया जात  
की अतः दिनांक 1.10.21 को जारी  
कॉन्ट्रिब्यूटिबल मिले खासा निरस्त  
की जाती है पत्रांक - कोषल मुकदमे  
होकर मिले मूलवाद रहे

उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज.)